# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 31 / 2025 / बाड़मेर**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. अणछी पत्नी जीयाराम<br>2. जेठाराम पुत्र जीयाराम<br>3. गिरधारीराम पुत्र जीयाराम जाति माली निवासी प्रभूओणी मालियो का वास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर | | 1. अनाराम पुत्र दीपाराम<br>2. मूलाराम पुत्र दीपाराम<br>3. चनणाराम पुत्र जैसा<br>4. नाथाराम पुत्र जैसा<br>5. लुंभाराम पुत्र जैसा जाति माली निवासी प्रभूओणी मालियो का वास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर<br>6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पनघट रोड़ बाड़मेर |

**अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 612 / 2024 बउनवान अनाराम बनाम चनणाराम में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भवानी शंकर उतरदाता की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—04.06.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 02 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा प्रभूओणी मालियों का वास तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 832 / 729 रकबा 0.4106 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी की जोत पर आने जाने हेतु का कोई कटाण रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत मौजा प्रभूओणी मालियो का वास तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 731 / 565 रकबा 1.4650 हैक्टेयर में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु हस्तगत आवेदन पेश किया गया। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते से अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में क्षतिपूर्ति हेतु राशि की गणना वर्तमान डी एल सी रेट पर नहीं की गई। उत्तरदातागण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 828/728 में रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त अपीलांट को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई उस वक्त मौका निरीक्षण तहसीलदार स्वयं द्वारा करना आज्ञापक था लेकिन तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकटतम रास्ते का विकल्प होने के बावजूद अपीलांटस की खातेदारी भूमि से दूर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उतरदाता संख्या 01 से 02 का प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजर अन्दाज करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण होने के संबंध में कोई तथा अंकित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कोई घर नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से सुगम निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण/उत्तरदाता की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई सुगम विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मौका रिपोर्ट में वर्णित दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत हैं जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। अपीलांटस द्वारा येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर प्रकरण को अनावश्यक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 612/2024 बउनवान अनाराम बनाम चनणाराम में पारित आदेश दिनांक 24.02.2025 को यथावत रखा जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के मामले में अन्य किसी प्रकरण में पारित स्थगन आदेश रास्ता खुलवाने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवा कर सुचारू करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

4/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर